न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 74/2026
आदेश

06.05.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त सरोज कुमार उर्फ गुड्डा की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(4), 310(5), 317(5) के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 156/2025 में दिनांक 04.05.2025 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वजीत कुमार को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 03.05.2025 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल द्वारा श्री शिव गंगा यादव ढाबा दाउदनगर मोड़ से लगभग 300 मीटर पूरब के समीप छापेमारी की गई, जहां से अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न मोबाईल फोन, एक पर्स में 280/– रुपया तथा तीन मोटरसाईकिलें बरामद की गईं। अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्तगण सड़क लूट की घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए थे।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठा एवं मनगढ़ंत है। जप्ती सूची का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं, पुलिस दल ने खुद गवाह बनकर एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और निर्दोष लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उसे मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी सामान्य प्रकृति की है, जो किसी भी व्यक्ति के पास पाई जा सकती है। आवेदक अभियुक्त का कोई प्रत्यक्ष आपराधिक कृत्य घटनास्थल पर सिद्ध नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 04.05.2025 से कारा में है। आवेदक अभियुक्त का दो आपराधिक इतिहास है। इस वाद का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

लगातार
06.05.2026

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त का दो आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में दिनांक 04.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस वाद का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के द्वारा कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के पश्चात यह आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक अभियुक्त की ओर से 7000/–रूपये की समान राशि के दो प्रतिभू सहित, विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र निष्पादित किया जाता हैं, तो उसे जमानत पर **मुक्त** कर दिया जायेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।